POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 18.03.2026

1. थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा मैट्रिमोनियल साइट व सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी पहचान बताकर पीड़ितो को अपने प्रेमजाल में फंसाकर करोड़ो रुपयों की ठगी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का सरगना गिरफ्तार, कब्जे से 05 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप, 01 टैबलेट, 01 वाई-फाई राउटर, 01 डोंगल, 01 सिम कार्ड, विदेशी मुद्रा (नायरा 1800), पासपोर्ट (अलग अलग नाम से) व अन्य कागजात बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **18.03.2026** को **थाना साइबर क्राइम पुलिस** द्वारा मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से पार्सल भेजने के नाम पर ठगी करने वाला अभियुक्त SAMUEL OGUN उर्फ STEPNEY DERICK S/O JOHN OGUN को जनपद फरीदाबाद हरियाणा से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 05 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप, 01 टैबलेट, 01 वाई-फाई राउटर, 01 डोंगल, 01 सिम कार्ड, विदेशी मुद्रा (नायरा 1800), पासपोर्ट (अलग अलग नाम से) व अन्य कागजात बरामद किए गए है।

अपराध करने का तरीका-- अभियुक्त मैट्रिमोनियल साइट्स एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जीवनसाथी की तलाश कर रहे व्यक्तियों से संपर्क करता था और उन्हें अपने प्रेमजाल में फंसाकर विभिन्न तरीकों से ठगता था। एक प्रमुख तरीका यह था कि वह पीड़िता को बताता था कि उसने पीड़िता के लिए विदेश से पार्सल भेजा है, जिसे एयरपोर्ट पर पकड़ लिया गया है। इसके उपरांत वह पीड़िता को भ्रमित कर ऑनलाइन धोखाधड़ी करता था। इस संबंध में पूर्व में थाना साइबर क्राइम पर इस संबंध में दो अभियोग पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनमें एक पीड़िता से ₹56,46,000 तथा दूसरे अभियोग में ₹1,26,00,000 की ऑनलाइन धोखाधड़ी अभियुक्त द्वारा की गई थी। पूछताछ के दौरान यह भी प्रकाश में आया कि अभियुक्त फर्जी लोन दिलाने के नाम पर भी ऑनलाइन धोखाधड़ी में संलिप्त है।

उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के पास से दो अलग-अलग नाम एवं अलग-अलग नागरिकता से संबंधित पासपोर्ट के दस्तावेज बरामद हुए हैं। प्रथम पासपोर्ट अमान्य (invalid) हो जाने के उपरांत वह दूसरे देश में जाकर नई पहचान से नया पासपोर्ट बनवाकर फिर भारत आया। अभियुक्त के पास कई फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं, जिनका उपयोग वह विभिन्न पहचान बताकर साइबर ठगी करने में करता था।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त सैमुअल उर्फ स्टेपनी डेरिक से विशेष टीम गठित कर गहन पूछताछ की गई। पूछताछ में अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह मैट्रिमोनियल साइट्स से महिलाओं/लड़कियों का डाटा प्राप्त कर अपनी वास्तविक पहचान छिपाते हुए विभिन्न नामों से एक साथ कई महिलाओं से संपर्क करता था। वह स्वयं को एक बिजनेसमैन बताकर अलग-अलग देशों का निवासी होने का झूठा दावा करता था तथा वेबसाइट पर उपलब्ध

आकर्षक व्यक्तियों की प्रोफाइल फोटो का उपयोग कर महिलाओं को अपने प्रेमजाल में फंसाता था। अभियुक्त द्वारा यह भी बताया गया कि वह अपना व्यवसाय विदेश से समेटकर भारत आकर शादी करने एवं यहीं व्यवसाय स्थापित करने का झूठा झांसा देता था। इसके उपरांत वह भारत आने का फर्जी टिकट भेजकर स्वयं को कस्टम/सिक्योरिटी जांच में फंसा हुआ बताता था और इस बहाने महिलाओं से विभिन्न खातों में धनराशि जमा कराता था। इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा फर्जी लोन दिलाने के नाम पर भी लोगों से ठगी की जाती थी तथा फर्जी दस्तावेज तैयार कर लोन दिलवाने का कार्य किया जाता था। इस संबंध में अन्य राज्यों, जैसे तेलंगाना, में भी अभियुक्त के विरुद्ध आपराधिक मामले पंजीकृत हैं।

वर्तमान में अभियुक्त लगभग 15-16 महिलाओं से विभिन्न नाम-पते की प्रोफाइल के माध्यम से संपर्क कर उन्हें अपने जाल में फंसाने का प्रयास कर रहा था। अभियुक्त के कब्जे से बरामद लैपटॉप एवं टैबलेट आदि डिवाइसों से इस प्रकार के अपराध से संबंधित कई महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अब तक की पूछताछ में थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर पर पंजीकृत अपराध संख्या 07/2025 एवं 45/2025 तथा आंध्र प्रदेश में दर्ज एनसीआरपी शिकायतों में अभियुक्त की संलिप्तता पाई गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-- SAMUEL OGUN @ STEPNEY DERICK S/O JOHN OGUN ADDRESS BENIN CITY FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA, AGE- 38 YEAR

पंजीकृत अभियोगों का विवरण--

1. मु0अ0सं0- 07/2025 धारा 318(4),319(2),336(3),338,340(2) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0- 45/2025 धारा 318(4),319(2),336(3),338,340(2) बीएनएस व 66D आईटी एक्ट, थाना साइबर क्राइम, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. 05 मोबाइल फोन, 01 लैपटॉप, 01 टैबलेट,
2. 01 वाई-फाई राउटर, 01 डोंगल, 01 सिम कार्ड
3. विदेशी मुद्रा (नायरा 1800), पासपोर्ट (अलग अलग नाम से), अन्य कागजात

साइबर जागरूकता से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव बिंदु--

1. मैट्रिमोनियल साइट्स व सोशल मीडिया पर अंजान व्यक्तियों से सावधानीपूर्वक संपर्क करें, उनकी प्रोफाइल व पहचान का सत्यापन अवश्य करें।
2. "विदेश से पार्सल भेजने" व कस्टम में फंसने के नाम पर धनराशि मांगने वाले कॉल/मैसेज से सतर्क रहें, यह आम साइबर ठगी का तरीका है।
3. किसी भी अज्ञात व्यक्ति के कहने पर बिना पुष्टि किए ऑनलाइन माध्यम से पैसे न भेजें।
4. फर्जी लोन ऑफर, कम ब्याज दर या बिना दस्तावेज के तुरंत लोन देने के झांसे में न आएं।
5. साइबर ठगी होने पर तुरंत 1930 हेल्पलाइन या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें।

2. थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस द्वारा एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **18-03-2026** को **थाना सेक्टर-58 नोएडा पुलिस** द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से पिछले 05 वर्षों से वांछित चल रहा अभियुक्त बिलाल गिलानी को उसके निवास स्थान (कश्मीर) से **गिरफ्तार** किया गया है।

विवरण-- दिनांक 10.10.2021 को वादिया द्वारा थाना फेस-3 पर तहरीर देकर अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0-1054/2021 धारा 354, 323, 504, 506, 384, 386, 34, 120बी भादवि 67 सी आईटी एक्ट पंजीकृत कराया गया था। अभियुक्त द्वारा वादिया मुकदमा द्वारा पूर्व में पंजीकृत कराये गये मु0अ0सं0-312/2020 धारा 406, 420, 467, 468, 120बी भादवि थाना नौहझील, जिला मथुरा को वापस लेने हेतु वादिया को धमकी दी गयी थी तथा वादिया का फोन नम्बर हैक करके 40 लाख रूपये की मांग करने व वादिया की आपत्तिजनक तस्वीरे सोशल मीडिया पर करने की धमकी भी दी गयी थी। थाना फेस-3 पर पंजीकृत अभियोग की विवेचना थाना सेक्टर-58 से की जा रही है, अभियुक्त बिलाल पिछले 05 वर्षों से वांछित चल रहा था, जिसके विरुद्ध NBW व धारा 82 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही की गयी थी।

अभियुक्त का विवरण-- बिलाल गिलानी पुत्र स्व0 नूर मौहम्मद गिलानी निवासी लाल बाजार, कश्मीर उम्र करीब 45 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग/आपराधिक इतिहास का विवरण--

1. मु0अ0सं0 1054/2021 धारा 354, 323, 504, 506, 384, 386, 34, 120बी भादवि 67 सी आईटी एक्ट थाना फेस-3, गौतमबुद्धनगर।
2. मु0अ0सं0-312/2020 धारा 406, 420, 467, 468, 120बी भादवि थाना नौहझील, जिला मथुरा।

3. थाना दादरी पुलिस व आबकारी टीम द्वारा संयुक्त रुप से कार्यवाही करते हुए ट्रक कन्टेनर में अवैध रुप से तस्करी की जा रही 457 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व 121 पेटी बीयर (कीमत लगभग 45 लाख रुपये) बरामद की गयी।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **18.03.2026** को **थाना दादरी पुलिस व आबकारी टीम द्वारा द्वारा संयुक्त** रुप से कार्यवाही करते हुए अवैध रुप से ट्रक में तस्करी की जा रही 457 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब व 121 पेटी बीयर (कीमत लगभग 45 लाख रुपये) को थाना क्षेत्र के लुहारली टोल प्लाजा के पास से बरामद किया गया है। उक्त

बरामदगी होने के सम्बन्ध में थाना दादरी पर मु0अ0सं0 115/2026 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया है। फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया है।

बरामदगी का विवरण--

1- तस्करी में प्रयुक्त एक ट्रक कंटेनर
2- 457 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (पंजाब राज्य मार्का)
3- 121 पेटी बीयर (पंजाब राज्य मार्का)

पंजीकृत अभियोग का विवरण-- मु0अ0सं0 115/2026 धारा 60/63/72 आबकारी अधिनियम थाना दादरी, गौतमबुद्धनगर।